फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गायत्री देवी | विपक्षी : श्री सुन्दरलाल

किस्म मुकदमा — 53,88,188 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 101/23

कमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता श्री भावेश लोहार द्वारा प्रार्थी श्री पुष्पेन्द्र जणवा की तरफ से वकालत पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का व दस्तावेज पेश कर वादग्रस्त आराजी संख्या 993, 994 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 सुन्दर लाल पिता नजर सिंह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 01.03.2024 को क्रय करने से प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहें। अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का न्यायहित स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी श्री पुष्पेन्द्र जणवा पिता श्यामलाल जणवा को बतौर प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कार्यवाही ड्रोप का पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया गया शामिल फाईल रहें। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा. दी. का पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा, बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत कर साथ ही राजीनामे के साथ नक्शा ट्रेस पेश कर राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा कथन कहा गया कि वादग्रस्त आराजीयात में आराजी नम्बर 238 (पुराना) 996, 997 (नये) रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा के पूर्वाधिकारी श्री नारायण, उदा पिता लक्ष्मण जी जणवा से जरिये बिकाव 1/2 हिस्सा गणेश पिता किशना कुम्हार द्वारा खरीदा गया इस कारण आराजी नम्बर 238 गणेश कुम्हार का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा उदा, नारायण पिता लक्ष्मण का राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज हुआ वक्त बिकाव आराजी नम्बर 238 के बजाय सेवन से आराजी नम्बर 242 अंकन हो गया जबकि मौके पर वास्तव में आराजी नम्बर 238 ही खरीदी गई और कब्जा भी आराजी नम्बर 238 का ही दिया गया। आराजी नम्बर 238 का बाद में [illegible] द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2013 को मिठालाल पिता चम[illegible]लाल, [illegible]पतलाल पिता किशनलाल जणवा से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर खातेदार बनी इस[illegible] वादी संख्या 2 श्यामलाल को खातेदार बाबुलाल पिता भंवरलाल [illegible] दानपत्र दिनांक [illegible]2.2014 को 1/6 दान देकर कब्जा दिया [illegible] संख्या 2 प्रकरण में 1/[illegible] हिस्से का खातेदार काश्तकार बना साथ ही इसी आराजी नम्बर 238 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 सुन्दरलाल द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त खातेदार बना इस प्रकार आराजी नम्बर 238 के 1/3 हिस्से पर वादीया संख्या 1, 1/6 हिस्से पर वादी संख्या 02 व 1/2 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होकर उक्त हिस्से अनुसार मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.07.25 17:38:43 IST
Reason: SelfAttested

पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन सहवन से जो आराजी शुरू में विक्रय पत्र में अंकित हो गये बाद में भी गलती होती रही। उक्त की पुष्टी आराजी नम्बर 242 वाला निष्पादित पंजिकृत विक्रय पत्र से होती है जो दिनांक 18.06.1986 को खातेदार तुलसीराम पिता डालु जी द्वारा क्रेता फुलचन्द पिता हीरा जी जणवा के पक्ष में निष्पादित किया गया। इसमें भी आराजी नम्बर सेवन से 238 अंकित हो गये लेकिन विक्रय वास्तव में आराजी नम्बर 242 का हुआ था। वर्तमान में वादीगणों के नाम आराजी न. 242 (नये नम्बर 993, 994) सहवन से गलत अंकन हो गया जबकि वास्तव में आराजी न. 238(नये 996, 997) क्रय किये जाने व कब्जा होने से घोषणा, बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किये जाने व पेश नक्शा ट्रेस अनुसार हिस्से का अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजीनामे अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा भू.अभि.नि. क्षेत्र खेरोदा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी सवत 2078–81 की आराजी नंबर 993, 994, 996, 997 की रद्दोबदल के बाद आराजी नम्बर 993 रकबा 0.6900 है. को दो भागो में विभाजित कर प्रथम भाग आराजी न. 993/1 रकबा 0.6500 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 शोभादेवी पुत्री फूलचन्द जाति जणवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व आराजी न. 993 के द्वितीय भाग आराजी न. 993 मीन रकबा 0.0400 है. भूमि का व आराजी न. 994 रकबा 0.6200 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 पुष्पेन्द्र पिता श्यामलाल जणवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 996 रकबा 0.6100 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 घीसी पत्नि लालु जणवा व प्रतिवादी संख्या 3 दिनेश पुत्र लालु जणवा को हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। आराजी नम्बर 997 रकबा 0.6200 है. भूमि में वादी संख्या 1 गायत्री देवी पत्नि श्यामलाल जणवा को 2/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 श्यामलाल पिता भंवरलाल जणवा को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रकरण में राजीनामें के साथ पेश नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद किया जावें। उक्त नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये ABCD बिन्दु सामलाती गाडी गडार रास्ता हैं जिसका अंकन राजस्व रेकर्ड में नहीं होगा न ही रकबे में कोई परिवर्तन होगा। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.07.25 17:38:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 101/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/290

अनवान

1. श्रीमती गायत्री देवी पत्नि श्यामलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम

1. श्री सुन्दर लाल पुत्र नजरसिंह जाति माण्डावत निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.।
2. श्रीमती धीसी पत्नि लालु जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री दिनेश पुत्र लालु जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती शोभा देवी पुत्री फलचन्द जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. ।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री रोनक कोठारी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3।
3. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रविवादी संख्या 4।
4. श्री भावेश लोहार, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 101/23 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्री रमेश चन्द बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:— परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजीनामें अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा भू.अभि.नि. क्षेत्र खेरोदा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078—81 की आराजी नंबर 993, 994, 996, 997 की रद्दोबदल के बाद आराजी नम्बर 993 रकबा 0.6900 है. को दो भागों में विभाजित कर प्रथम भाग आराजी न. 993/1 रकबा 0.6500 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 शोभादेवी पुत्री फूलचन्द जाति जणवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व आराजी न. 993 के द्वितीय भाग आराजी न. 993 मीन रकबा 0.0400 है. भूमि का व आराजी न. 994 रकबा 0.6200 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 पुष्पेन्द्र पिता श्यामलाल जणवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 996 रकबा 0.6100 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 धीसी पत्नि लालु जणवा व प्रतिवादी संख्या 3 दिनेश पुत्र लालु जणवा को हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। आराजी नम्बर 997 रकबा 0.6200 है. भूमि में वादी संख्या 1 गायत्री देवी पत्नि श्यामलाल जणवा को 2/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 श्यामलाल पिता भंवरलाल जणवा [illegible] हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रकरण में राजीनामें के साथ पेश नक्शा [illegible] अनुसार अमल दरामद किया जावें। उक्त नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये ABCD बिन्दु सामलाती [illegible] राजस्व रेकर्ड में नहीं होगा न ही रकबे में कोई परिवर्तन होगा। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो।

निर्णय सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.05.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.07.25 17:38:43 IST
Reason: SelfAttested